इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 अक्टूबर 2015—कार्तिक 8, शक 1937

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख)(1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2015

क्र. ई-5-747-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती वीणा घाणेकर आयएएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम तथा पदेन सचिव, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को दिनांक 3 से 14 अगस्त 2015 तक, बारह दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्रीमती वीणा घाणेकर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती वीणा घाणेकर अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2015

क्र. ई-1-340-2015-5-एक.—(1) श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता, भाप्रसे (1998) पदस्थापना के लिए प्रतीक्षारत, की सेवाएं ऊर्जा विभाग को सौंपते हुए, उन्हें अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर पदस्थ किया जाता है.

(2) उपरोक्तानुसार श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2007 के नियम 9 के अन्तर्गत प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची-II में सम्मिलित संभागीय कमिश्नर के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.

क्र. ई-5-821-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एस. सुहेल अली, आयएएस., सचिव, राजस्व मंडल, ग्वालियर को दिनांक 1 से 16 अक्टूबर 2015 तक, सोलह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 17 एवं 18 अक्टूबर 2015 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एस. सुहेल अली को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, राजस्व मण्डल, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) श्री एस. सुहेल अली को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. सुहेल अली अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-868-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती सूफिया फारूखी वली, आयएएस., उपसचिव, मध्ययप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को दिनांक 6 अक्टूबर 2015 से 2 अप्रैल 2016 तक, 180 दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सूफिया फारूखी वली को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती सूफिया फारूखी वली को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सूफिया फारूखी वली अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 18 सितंबर 2015

क्र. ई-5-573-आयएएस-लीव-5-1.—(1) श्री मलय श्रीवास्तव, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग एवं पर्यावरण आयुक्त, महानिदेशक, एप्को तथा प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन को दिनांक 28 से 30 सितम्बर 2015 तक, तीन दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री मलय श्रीवास्तव की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री एस. एन. मिश्रा, भाप्रसे प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट अथोरिटी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मलय श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग एवं पर्यावरण आयुक्त, महानिदेशक, एप्को तथा प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री मलय श्रीवास्तव, द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग एवं पर्यावरण आयुक्त, महानिदेशक, एप्को तथा प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस.एन. मिश्रा उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री मलय श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मलय श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-607-आयएएस-लीव-5-1.—(1) श्री के. सी. गुप्ता, आयएएस., श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश इन्दौर को दिनांक 21 से 23 अक्टूबर 2015 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24 एवं 25 अक्टूबर 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री के. सी. गुप्ता की अवकाश अवधि में श्री राघवेन्द्र सिंह, भाप्रसे, आयुक्त, वाणिज्यक कर, मध्यप्रदेश इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश इन्दौर का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. गुप्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री के. सी. गुप्ता द्वारा श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राघवेन्द्र सिंह श्रम आयुक्त के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री के. सी. गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 21 सितंबर 2015

क्र. ई-1-353-2015-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए भा. प्र. से. अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3)

में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

क्र.	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्री राजाभैया प्रजापति (2003), कलेक्टर, अशोकनगर.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.
2	श्री अरूण कुमार तोमर (2003), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग.	कलेक्टर, अशोकनगर.

क्र. ई-5-709-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती सीमा शर्मा, आयएएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग को दिनांक 26 सितम्बर से 3 अक्टूबर 2015 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25 सितम्बर एवं 4 अक्टूबर 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सीमा शर्मा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती सीमा शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सीमा शर्मा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 2015

क्र. ई.-1-354-2015-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र. मांक	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री ए. पी. श्रीवास्तव (1984), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग तथा कृषि उत्पादन आयुक्त, (अतिरिक्त प्रभार).	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.	अध्यक्ष राजस्व मण्डल
2	श्री पी. सी. मीना (1984), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग तथा संचालक, आदिम जाति, अनुसंधान एवं विकास संस्थान, (अतिरिक्त प्रभार).	कृषि उत्पादन आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	—
3	श्री दीपक खाण्डेकर (1985), वि.क.अ.-सह-कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, एवं योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग (अतिरिक्त प्रभार) तथा वि.क.अ.-सह-सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग का अतिरिक्त प्रभार.	—
4	डॉ. एम. मोहनराव (1987), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण तथा वि.क.अ. सह-आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं वि.क.अ.-सह-संचालक, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग.	संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान	प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन.

(1)	(2)	(3)	(4)
5	श्री एम. के. वार्ष्णेय (1991), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग (मानव अधिकार), तथा श्रम विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	—
6	डॉ. मनोहर अगनानी (1993), आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण.	आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग एवं आयुक्त, सामाजिक न्याय.	—
7	श्री हरिरंजन राव (1994), सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा लोक सेवा प्रबंधन, सचिव, मुख्यमंत्री.	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम एवं आयुक्त, पर्यटन एवं सचिव, लोक सेवा प्रबंधन विभाग, जन शिकायत निवारण विभाग तथा सचिव, मुख्यमंत्री.	—
8	श्री मनीष रस्तोगी (1994), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग.	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग तथा सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग.	—
9	श्री गुलशन बामरा (1997), आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड, भोपाल.	कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर.	—
10	श्री संदीप यादव (2000), अपर सचिव, वित्त विभाग एवं संचालक, बजट (अतिरिक्त प्रभार).	संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश.	अपर सचिव म. प्र. शासन.
11	सुश्री सुरभि गुप्ता (2008), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चंदेरी जिला अशोकनगर.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छिन्दवाड़ा (कनिष्ठ वेतनमान).	-
12	सुश्री तन्वी सुन्द्रियाल (2010), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छिन्दवाड़ा.	अपर प्रबंध संचालक, पर्यटन विकास निगम.	उपसचिव म. प्र. शासन.
13	श्री भास्कर लक्षकार (2010), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दतिया.	प्रोजेक्ट डायरेक्टर, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (स्वान), मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम.	उपसचिव म. प्र. शासन.

(2) उपरोक्तानुसार श्री दीपक खाण्डेकर द्वारा प्रमुख सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा वि.क.अ.-सह-सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अजय नाथ, भाप्रसे (1982), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग तथा वि.क.अ.-सह-सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग एवं पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग केवल वि.क.अ.-सह-सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग एवं पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(3) श्री राकेश अग्रवाल, भाप्रसे (1982) अपर मुख्य सचिव, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग तथा जन शिकायत निवारण विभाग (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक विमुक्त घुमक्कड़ एवं

अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण तथा वि.क.अ.-सह-संचालक, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग का प्रभार भी अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है. श्री हरिरंजन राव द्वारा जनशिकायत निवारण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राकेश अग्रवाल, अपर मुख्य सचिव, केवल जनशिकायत निवारण विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(4) श्री हरिरंजन राव, भाप्रसे (1994) द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम एवं आयुक्त, पर्यटन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती वीरा राणा, भाप्रसे (1988), प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम एवं आयुक्त, पर्यटन (अतिरिक्त प्रभार) केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम एवं आयुक्त, पर्यटन (अतिरिक्त प्रभार) से मुक्त होंगी.

(5) श्री विवेक अग्रवाल, भाप्रसे (1994), आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग तथा सचिव, मुख्यमंत्री (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(6) उपरोक्तानुसार श्री एम. के. वार्ष्णेय द्वारा प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती रश्मि अरूण शमी, भाप्रसे (1994), सचिव "कार्मिक", मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग (मानव अधिकार) तथा संसदीय कार्य विभाग केवल सामान्य प्रशासन विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग (मानव अधिकार) के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी.

(7) श्री अमित राठौर, भाप्रसे (1996), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग तथा आयुक्त-सह-संचालक, संस्थागत वित्त (अतिरिक्त प्रभार) को अपने कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक संचालक, (बजट) का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(8) श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, भाप्रसे (2003), संचालक, तकनीकी शिक्षा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग का प्रभार भी सौंपा जाता है.

(9) उपरोक्तानुसार श्री भास्कर लक्षकार द्वारा प्रोजेक्ट डायरेक्टर, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (स्वान), मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम का प्रभार ग्रहण करने पर श्री तरूण कुमार पिथोड़े, भाप्रसे (2009), संचालक, व्यावसायिक परीक्षा मंडल एवं प्रोजेक्ट डायरेक्टर,. स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (स्वान), मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम (अतिरिक्त प्रभार) केवल प्रोजेक्ट डायरेक्टर, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (स्वान), मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

क्र. ई-5-570-आयएसएस-लीव-1-5.—(1) श्री अजीत केसरी, भाप्रसे प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग को दिनांक 14 से 16 सितम्बर 2015 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश मय स्थानीय अवकाश दिनांक 17 सितम्बर 2015 को जोड़ते हुए कार्योत्तर स्वीकृत करते हुए, दिनांक 24 सितम्बर से 1 अक्टूबर 2015 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2 अक्टूबर 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की भी अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री अजीत केसरी की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री पी. सी. मीना, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग तथा संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान, को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अजीत केसरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता हैं.

(4) श्री अजीत केसरी द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पी. सी. मीना उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अजीत केसरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजीत केसरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 23 सितम्बर 2015

क्र. ई-5-671-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्रीमती दीपाली रस्तोगी, आयएएस., पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश को दिनांक 21 सितम्बर से 5 अक्टूबर 2015 तक, पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्रीमती दीपाली रस्तोगी की अवकाश की अवधि में उनका प्रभार श्री अमित राठौर, आयएएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, तथा आयुक्त-सह-संचालक, संस्थागत वित्त को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती दीपाली रस्तोगी, आयएएस., को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती दीपाली रस्तोगी द्वारा पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अमित राठौर उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती रस्तोगी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रस्तोगी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2015

क्र. ई-5-846-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती रेनू तिवारी, आयएएस., संचालक आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं, भोपाल को दिनांक 5 से 16 अक्टूबर 2015 तक, बारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रेनू तिवारी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती रेनू तिवारी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रेनू तिवारी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2015

क्र. ई-5-828-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री स्वतंत्र कुमार सिंह, आयएएस., कलेक्टर, जिला मंदसौर को दिनांक 24 सितम्बर से 3 अक्टूबर 2015 तक, दस दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 4 अक्टूबर 2015 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री स्वतंत्र कुमार सिंह की अवकाश अवधि में श्री जे. सी. बौरासी, अपर कलेक्टर जिला मंदसौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला मंदसौर का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री स्वतंत्र कुमार सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला मंदसौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री स्वतंत्र कुमार सिंह द्वारा कलेक्टर, जिला मंदसौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री जे. सी. बौरासी, कलेक्टर जिला मंदसौर के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री स्वतंत्र कुमार सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री स्वतंत्र कुमार सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2015

क्र. ई-1-40-2014-5-एक.—श्री रजनीश वैश, भाप्रसे (1985), उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण तथा पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग एवं प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड (एनबीपीसीएल) का अतिरिक्त प्रभार को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक, वि. क. अ.-सह-सदस्य (पुनर्वास), नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2015

क्र. ई-5-868-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती सूफिया फारूखी वली, आयएएस., उपसचिव, मध्ययप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को दिनांक 1 से 5 अक्टूबर 2015 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सूफिया फारूखी वली को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती सूफिया फारूखी वली को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सूफिया फारूखी वली अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2015

क्र. ई.-1-306-2015-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारी को मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नति करते हुए, उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गए पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

क्र.	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नति पर पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया है.
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री राधेश्याम जुलानिया (1985). प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग.	अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन जल संसाधन विभाग.	अध्यक्ष राजस्व मंडल.

(2) श्री ए. पी. श्रीवास्तव, भाप्रसे (1984), विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग पदस्थ किया जाता है.

(3) उपरोक्तानुसार श्री ए.पी. श्रीवास्तव द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2007 के नियम 9 के अन्तर्गत अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची-II में सम्मिलित अध्यक्ष, राजस्व मंडल के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

(4) श्रीमती रेनू तिवारी, भाप्रसे (2000) संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं, भोपाल को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम का प्रभार भी सौंपा जाता है तथा उन्हें पदेन अपर सचिव मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग भी घोषित किया जाता है.

(5) उक्त पदस्थापना आदेश दिनांक 1 अक्टूबर, 2015 से प्रभावशील होगा.

क्र. ई.-1-313-2015-5-एक.—श्री रविन्द्र सिंह, भाप्रसे (2005), उप सचिव, मध्य प्रदेश शासन को, अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, उप सचिव, मध्य प्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग पदस्थ किया जाता है.

क्र. ई-5-686-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री फैज अहमद किदवई, आयएएस., मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) तथा संचालक, एड्स को दिनांक 15 से 29 सितम्बर 2015 तक, पन्द्रह दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री फैज अहमद किदवई को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) तथा संचालक, एड्स के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री फैज अहमद किदवई को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री फैज अहमद किदवई अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-781-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री आर. के. माथुर, आयएएस., आयुक्त, सागर संभाग, सागर को दिनांक 11 से 20 जनवरी 2016 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 9 एवं 10 जनवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. माथुर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, सागर संभाग, सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री आर. के. माथुर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. माथुर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-800-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती (डॉ.) मधु खरे, आयएएस., सदस्य, राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर को दिनांक 28 सितम्बर से 16 अक्टूबर 2015 तक, उन्नीस दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिंक 27 सितम्बर 2015 एवं 17, 18 अक्टूबर 2015 का सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती (डॉ.) मधु खरे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सदस्य, राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती (डॉ.) मधु खरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती (डॉ.) मधु खरे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

क्र. ई-5-854-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव, आयएएस., अपर आयुक्त, ग्वालियर/चंबल संभाग, को दिनांक 7 से 18 सितम्बर 2015 तक, बारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 5, 6 एवं 19, 20 सितम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त, ग्वालियर/चंबल संभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-980-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती नेहा मीना, आयएएस., सहायक कलेक्टर, जिला धार को दिनांक 7 सितम्बर 2015 से 7 मार्च 2016 तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 5 एवं 6 सितम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की भी अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती नेहा मीना को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, सहायक कलेक्टर, जिला धार के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती नेहा मीना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती नेहा मीना अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

भोपाल, दिनांक 5 अक्टूबर 2015

क्र. ई-5-818-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एन. एस. भटनागर, आयएएस., अपर आबकारी आयुक्त, ग्वालियर को दिनांक 28 अक्टूबर से 7 नवम्बर 2015 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 27 अक्टूबर एवं 8 नवम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एन. एस. भटनागर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आबकारी आयुक्त, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री एन. एस. भटनागर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एन. एस. भटनागर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-831-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती स्वाती मीणा, आयएएस., अपर मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल को दिनांक 3 से 9 अक्टूबर 2015 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती स्वाती मीणा नायक को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, अपर मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती स्वाती मीणा नायक को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती स्वाती मीणा नायक अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई-5-876-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री तेजस्वी एस. नायक, आयएएस., आयुक्त, नगर निगम, भोपाल को दिनांक 3 से 9 अक्टूबर 2015 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2 एवं 10, 11 अक्टूबर 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री तेजस्वी एस. नायक को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, नगर निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री तेजस्वी एस. नायक को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तेजस्वी एस. नायक अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-886-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री गणेश शंकर मिश्रा, आयएएस., अपर कलेक्टर, हरदा को दिनांक 3 से 9 अक्टूबर 2015 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 10 एवं 11 अक्टूबर 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री गणेश शंकर मिश्रा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर कलेक्टर, हरदा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री गणेश शंकर मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गणेश शंकर मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-910-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती षणमुख प्रिया मिश्रा, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, हरदा को दिनांक 3 से 9 अक्टूबर 2015 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 10 एवं 11 अक्टूबर 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती षणमुख प्रिया मिश्रा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, हरदा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती षणमुख प्रिया मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती षणमुख प्रिया मिश्रा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

भोपाल, दिनांक 7 अक्टूबर 2015

क्र. ई-5-609-आयएएस-लीव-5-1.—(1) श्रीमती स्मिता भारद्वाज, भाप्रसे प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वित्त निगम, इंदौर को दिनांक 19 से 31 अक्टूबर 2015 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17, 18 अक्टूबर 2015 एवं 1 नवम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्रीमती स्मिता भारद्वाज की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, भाप्रसे, आयुक्त, वाणिज्यक कर, इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती स्मिता भारद्वाज को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वित्त निगम, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती स्मिता भारद्वाज द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वित्त निगम, इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती स्मिता भारद्वाज को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती स्मिता भारद्वाज अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

क्र. ई-5-759-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री जे. एन. मालपानी, आयएएस., आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण मध्यप्रदेश को दिनांक 3 से 9 अक्टूबर 2015 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2 तथा 10, 11 अक्टूबर 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री जे. एन. मालपानी की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती उर्मिल मिश्रा, भाप्रसे, आयुक्त पिछड़ा वर्ग कल्याण को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री जे. एन. मालपानी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री जे. एन. मालपानी द्वारा आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती उर्मिल मिश्रा उक्त प्रभार से मुक्त होंगीं

(5) अवकाशकाल में श्री जे. एन. मालपानी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जे. एन. मालपानी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-817-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री राहुल जैन, आयएएस., कलेक्टर, जिला रीवा मध्यप्रदेश को दिनांक 9 से 13 अक्टूबर 2015 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री राहुल जैन की अवकाश अवधि में श्री नागेन्द्र सिंह, अपर कलेक्टर, रीवा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला रीवा का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री राहुल जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री राहुल जैन द्वारा कलेक्टर जिला रीवा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री नागेन्द्र सिंह कलेक्टर, जिला रीवा के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री राहुल जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राहुल जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 9 अक्टूबर 2015

क्र. ई-5-671-आयएसएस-लीव-एक-5.—(1) श्रीमती दीपाली रस्तोगी, आयएएस., पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक मध्यप्रदेश को पूर्व में स्वीकृत अर्जित अवकाश दिनांक 21 सितम्बर से 5 अक्टूबर 2015 के अनुक्रम में दिनंक 6 से 16 अक्टूबर 2015 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्रीमती दीपाली रस्तोगी की अवकाश की अवधि में उनका प्रभार श्री एम. सेलबेन्द्रन, आयएएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम एवं कार्यपालक संचालक, राज्य लोक सेवा प्राधिकरण को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती दीपाली रस्तोगी, आयएएस को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक मध्य प्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती दीपाली रस्तोगी द्वारा पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक मध्यप्रदेश का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एम. सेलबेन्द्रन उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती दीपाली रस्तोगी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती दीपाली रस्तोगी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई-5-919-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) डॉ. जे. विजय कुमार, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मंडला को दिनांक 16 से 23 अक्टूबर 2015 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24 एवं 25 अक्टूबर 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. जे. विजय कुमार को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मंडला के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में डॉ. जे. विजय कुमार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. जे. विजय कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-13-08-2015-5-एक.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 11 अगस्त, 2015 एवं दिनांक 24 अगस्त, 2015 के क्रम में राज्य शासन द्वारा कॉलम (2) में दर्शाए निम्नलिखित अधिकारियों को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में दिनांक 11 अक्टूबर, 2015 से 6 नवम्बर, 2015 तक आयोजित अनिवार्य मिड केरियर ट्रेनिंग फॉर आईएएस ऑफीसर (फेस-V-Round 9) में भाग लेने के फलस्वरूप उनके पद का प्रभार कॉलम (4) में दर्शाए अधिकारियों को, अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ सौंपा जाता है :—

क्र.	नाम अधिकारी	पदस्थापना	प्रशिक्षण अवधि में जिसे प्रभार सौंपा जाता है.
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री रजनीश वैश (1985)	उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग तथा प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कं.लि. (एनबीपीसीएल) (अति. प्रभार) तथा वि.क. अ.-सह-सदस्य (पुनर्वास) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (अति. प्रभार).	श्री राधेश्याम जुलानिया (1985) अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग.
2	श्रीमती सलीना सिंह (1986)	मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, भोपाल तथा पदेन प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग (केवल निर्वाचन कार्य के लिए).	श्री एस. एस. बंसल (1998) वि. क. अ-सह-संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग (केवल निर्वाचन कार्य के लिए).
3	श्री प्रवीर कृष्ण (1987)	प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग तथा उद्यनिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग.	1. श्रीमती वीरा राणा (1988) प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, पर्यटन विभाग को कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग. 2. डॉ. राजेश राजौरा (1990) प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग.
4	श्री संजय कुमार सिंह (1987)	प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास.	श्री प्रमोद अग्रवाल (1991) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग.
5	श्री आर. के. चतुर्वेदी (1987)	वि. क. अ.-सह-आवासीय आयुक्त म. प्र. भवन तथा विशेष आयुक्त (समन्वय) मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली (अति. प्रभार)	श्री प्रकाश उन्हाले, भावसे, अपर आवासीय आयुक्त
6	श्री आई. सी. पी. केशरी (1988)	प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग तथा वि. क. अ. कार्यालय आवासीय आयुक्त, म. प्र. भवन नई दिल्ली.	श्री मनु श्रीवास्तव (1990) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग तथा प्रबंध संचालक म. प्र. ऊर्जा विकास निगम.

भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2015

क्र. ई-5-475-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री रजनीश वैश्य, आयएएस., उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग तथा प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कं. लि. (एनबीपीसीएल) को दिनांक 26 से 30 सितम्बर 2015 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री रजनीश वैश्य को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रजनीश वैश्य अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य रहते रहते.

क्र. ई-5-479-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री प्रभांशु कमल, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग को दिनांक 23 से 24 सितम्बर 2015 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री प्रभांशु कमल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रभांशु कमल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य रहते रहते.

क्र. ई-5-486-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री विनोद चन्द्र सेमवाल, आयएएस., प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग को दिनांक 19 से 21 अक्टूबर 2015 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 17, 18 एवं 22 अक्टूबर 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री विनोद चन्द्र सेमवाल की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती गौरी सिंह, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग तथा आयुष विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री विनोद चन्द्र सेमवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री विनोद चन्द्र सेमवाल द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती गौरी सिंह उक्त प्रभार से मुक्त होंगी.

(5) अवकाशकाल में श्री विनोद चन्द्र सेमवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि श्री विनोद चन्द्र सेमवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-606-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री पंकज अग्रवाल, आयएएस., आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन को दिनांक 20 से 23 अक्टूबर 2015 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24 एवं 25 अक्टूबर 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री पंकज अग्रवाल की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री फैज अहमद किदवई, भाप्रसे मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन तथा संचालक, एडस, मध्यप्रदेश को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री पंकज अग्रवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री पंकज अग्रवाल द्वारा आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री फैज अहमद किदवई, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री पंकज अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पंकज अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-867-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री तरूण कुमार पिथोड़े, भाप्रसे संचालक, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड तथा प्रोजेक्ट डायरेक्टर, स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क (स्वान) मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक विकास निगम, भोपाल को दिनांक 20 अक्टूबर से 7 नवम्बर 2015 तक, उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री तरूण कुमार पिथोड़े को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड तथा प्रोजेक्ट डायरेक्टर, स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क (स्वान) मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक विकास निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री तरूण कुमार पिथोड़े को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तरूण कुमार पिथोड़े अवकाश नहीं जाते तो अपने पद कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-920-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री नीरज कुमार सिंह, आयएएस., अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जिला धार को दिनांक 16 नवम्बर से 11 दिसम्बर 2015 तक, छब्बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 नवम्बर एवं 12, 13 दिसम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री नीरज कुमार सिंह की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री बिहारी सिंह, डिप्टी कलेक्टर, जिला धार को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री नीरज कुमार सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व जिला धार के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री नीरज कुमार सिंह द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व जिला धार का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री बिहारी सिंह उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री नीरज कुमार सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीरज कुमार सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-927-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री प्रवीण सिंह अधयक, आयएएस., अनुविभागीय अधिकारी, लखनादौन जिला सिवनी को दिनांक 21 से 31 अक्टूबर 2015 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री प्रवीण सिंह अधयक को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी, लखनादौन जिला सिवनी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री प्रवीण सिंह अधयक को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रवीण सिंह अधयक अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ॲन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 7 अक्टूबर, 2015

क्र. ई-5-828-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री स्वतंत्र कुमार सिंह, आयएएस., कलेक्टर, जिला मंदसौर को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26 सितंबर, 2015 द्वारा दिनांक 24 सितम्बर से 3 अक्टूबर 2015 तक, दस दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है, दिनांक 4 अक्टूबर 2015 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया है, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2015

क्र. ई-5-476-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री दीपक खाण्डेकर, आयएएस., तत्कालीन कमिश्नर, जबलपुर संभाग (वर्तमान में प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग) को समसंख्यक आदेश दिनांक 2 सितम्बर 2015 द्वारा दिनांक 14 से 26 सितम्बर 2015 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 14 से 24 सितम्बर 2015 तक, ग्यारह दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है, तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 12, 13 एवं 25 सितम्बर 2015 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
फजल मोहम्मद, अवर सचिव "कार्मिक".

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 अक्टूबर, 2015

क्र. एफ 1(बी)85-2014-बी-4-दो.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर द्वारा राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सेवा के अंतर्गत वैज्ञानिक अधिकारी (रसायन) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आयोजित परीक्षा 2013 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सेवा में कनिष्ठ वेतनमान रुपये 15600-39100+5400/- में वैज्ञानिक अधिकारी (रसायन) के पद पर उनके नाम के सम्मुख कालम (4) में अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाता है:—

क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित मुख्य सूची का क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्राचार का पता	पदस्थापना कार्यालय/ स्थल
(1)	(2)	(3)	(4)
1	21	श्री आशीष कुमार सोनी, टाईप-3/314, अनुप्रताप कालोनी, पी.ओ. भाभा नगर, रावतभाटा वाया कोटा, राजस्थान-323307.	क्षेत्रिय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, ग्वालियर.

(2) नवनियुक्त अधिकरी को आदेश प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में कॉलम 04 में अंकित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करे अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा.

(3) नवनियुक्त अधिकारी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता पदोन्नदि आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश न्यायालयिक प्रयोगशाला (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम-1993 से शासित होगी. सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/निर्देशों के अंतर्गत निराकृत किये जायेंगे.

(4) नवनियुक्ति अधिकारी की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती है. इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग-पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहे तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा. एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होगें, नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व बकाया के तौर पर उनसे वसूल की जावेगी.

(5) राज्य शासन के अधीन दिनांक 1 जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी.

(6) नियुक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर उनकी सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी एवं उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा नियुक्त मान्य नहीं होगा.

(7) परीवीक्षाधीन अधिकारी द्वारा पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय एक ''बाण्ड'' शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा की परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होगी, की वापसी के लिये उत्तरदायी होंगे.

(8) नवनियुक्त अधिकारी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र अजॉच एवं अमांग प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा.

(9) प्रत्याशियों को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति पदस्थापना संबंधी जिले के पुलिस अधीक्षक/संयुक्त निदेशक क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला कार्यालय/कार्यालय प्रमुख के सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे.

(10) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2002 (क्रमांक 10 सन् 2002) दिनांक 13 मई 2002 के प्रावधान अनुसार सुविधा सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियुक्ति की प्रविष्टियॉ रोस्टर में पंजी में कर दी गई है.

(11) प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गो को आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक सन् 1994) उपबंधों का और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा 6, की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमला उपाध्याय, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 19 अक्टूबर 2015

फा. क्र. 3(ए)06-2015-3032-इक्कीस-ब(एक).—उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य श्री मोहम्मद हुसैन अंसारी, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश धार (वर्तमान पदस्थापना अपर जिला न्यायाधीश सोहागपुर, जिला होशंगाबाद) के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच के निष्कर्षो के आधार पर उनके विरुद्ध कदाचरण के आरोप प्रमाणित पाये जाने पर उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश द्वारा फुलकोर्ट मीटिंग में पारित प्रस्ताव दिनांक 8 अक्टूबर 2015 द्वारा उक्त न्यायिक अधिकारी को सेवा से पदच्युत (Dismissal from service) किये जाने की अनुशंसा की गई है.

उक्त न्यायिक अधिकारी के सेवा अभिलेख तथा समस्त सामग्री पर विचार करने के उपरांत उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश की अनुशंसा से सहमत होते हुए राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि श्री मोहम्मद हुसैन अंसारी, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश धार (वर्तमान पदस्थापना अपर जिला न्यायाधीश सोहागपुर, जिला होशंगाबाद) को सेवा से पदच्युत (Dismissal from service) किया जाए.

अत: म. प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील), नियम 10 के उपनियम (ix) के अन्तर्गत दीर्घ शास्ति अधिरोपित करते हुए एतद्द्वारा, राज्य शासन श्री मोहम्मद हुसैन अंसारी, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश धार (वर्तमान पदस्थापना अपर जिला न्यायाधीश सोहागपुर, जिला होशंगाबाद) को तत्काल प्रभाव से सेवा से पदच्युत (Dismissal from service) करता है.

फा. क्र. 3(ए)06-2015-3030-इक्कीस-ब(एक).—उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य श्री चन्द्र प्रकाश वर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उमरिया (वर्तमान पदस्थापना अपर जिला न्यायाधीश ब्यौहारी

जिला शहडोल) के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच के निष्कर्षो के आधार पर उनके विरुद्ध कदाचरण के आरोप प्रमाणित पाये जाने पर उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश द्वारा फुलकोर्ट मीटिंग में पारित प्रस्ताव दिनांक 8 अक्टूबर 2015 द्वारा उक्त न्यायिक अधिकारी को सेवा से पृथक (Removal) किये जाने की अनुशंसा की गई है.

उक्त न्यायिक अधिकारी के सेवा अभिलेख तथा समस्त सामग्री पर विचार करने के उपरांत उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश की अनुशंसा से सहमत होते हुए राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि श्री चन्द्र प्रकाश वर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उमरिया (वर्तमान पदस्थापना अपर जिला न्यायाधीश ब्यौहारी जिला शहडोल) को सेवा से पृथक (Removal) किया जाए.

अत:. म. प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील), नियम 1966 के नियम 10 के उपनियम (viii) के अन्तर्गत दीर्घ शास्ति अधिरोपित करते हुए एतद्द्वारा, राज्य शासन श्री चन्द्र प्रकाश वर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उमरिया (वर्तमान पदस्थापना अपर जिला न्यायाधीश ब्यौहारी जिला शहडोल) को तत्काल प्रभाव से सेवा से पृथक (Removal) करता है.

फा. क्र. 3(ए)06-2015-3031-इक्कीस-ब(एक).—उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य श्री सुरेश कुमार आरसे, अपर जिला न्यायाधीश, आगर जिला शाजापुर (वर्तमान पदस्थापना सप्तम अपर जिला न्यायाधीश, जबलपुर) के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच के निष्कर्षो के आधार पर उनके विरुद्ध कदाचरण के आरोप प्रमाणित पाये जाने पर उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश द्वारा फुलकोर्ट मीटिंग में पारित प्रस्ताव दिनांक 8 अक्टूबर 2015 द्वारा उक्त न्यायिक अधिकारी को अनिवार्य सेवानिवृत्त (Compulsory Retirement) किये जाने की अनुशंसा की गई है.

उक्त न्यायिक अधिकारी के सेवा अभिलेख तथा समस्त सामग्री पर विचार करने के उपरांत उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश की अनुशंसा से सहमत होते हुए राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि श्री सुरेश कुमार आरसे, अपर जिला न्यायाधीश, आगर जिला शाजापुर (वर्तमान पदस्थापना सप्तम अपर जिला न्यायाधीश, जबलपुर) को अनिवार्य सेवानिवृत्त (Compulsory Retirement) किया जाये.

अत: म. प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील), नियम 1966 के नियम 10 के उपनियम (vii) के अन्तर्गत दीर्घ शास्ति अधिरोपित करते हुए एतद्द्वारा, राज्य शासन श्री सुरेश कुमार आरसे, अपर जिला न्यायाधीश, आगर जिला शाजापुर (वर्तमान पदस्थापना सप्तम अपर जिला न्यायाधीश, जबलपुर) को अनिवार्य सेवानिवृत्त (Compulsory Retirement) करता है.

फा. क्र. 3(ए)06-2015-3033-इक्कीस-ब(एक).—उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य श्री रूप सिंह अलावा, अपर जिला न्यायाधीश खाचरोद, जिला उज्जैन (वर्तमान पदस्थापना अपर जिला न्यायाधीश जोबट, जिला अलीराजपुर) के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच के निष्कर्षों के आधार पर उनके विरुद्ध कदाचरण के आरोप प्रमाणित पाये जाने पर उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश द्वारा फुलकोर्ट मीटिंग में पारित प्रस्ताव दिनांक 8 अक्टूबर 2015 द्वारा उक्त न्यायिक अधिकारी को सेवा से पदच्युत (Dismissal from service) किये जाने की अनुशंसा की गई है.

उक्त न्यायिक अधिकारी के सेवा अभिलेख तथा समस्त सामग्री पर विचार करने के उपरांत उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश की अनुशंसा से सहमत होते हुए राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि श्री रूप सिंह अलावा, अपर जिला न्यायाधीश खाचरोद, जिला उज्जैन (वर्तमान पदस्थापना अपर जिला न्यायाधीश जोबट, जिला अलीराजपुर) को सेवा से पदच्युत (Dismissal from service) किया जाए.

अत: म. प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील), नियम 1966 के नियम 10 के उपनियम (ix) के अन्तर्गत दीर्घ शास्ति अधिरोपित करते हुए एतद्द्वारा, राज्य शासन श्री रूप सिंह अलावा, अपर जिला न्यायाधीश खाचरोद, जिला उज्जैन (वर्तमान पदस्थापना अपर जिला न्यायाधीश जोबट, जिला अलीराजपुर) को तत्काल प्रभाव से सेवा से पदच्युत (Dismissal from service) करता है.

फा. क्र. 3(ए)06-2015-3034-इक्कीस-ब(एक).—उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य श्री जगत मोहन चतुर्वेदी, विशेष न्यायाधीश SC/ST(PA) Act, ग्वालियर (वर्तमान पदस्थापना द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, बालाघाट) के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच के निष्कर्षों के आधार पर उनके विरुद्ध कदाचरण के आरोप प्रमाणित पाये जाने पर उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश द्वारा फुलकोर्ट मीटिंग में पारित प्रस्ताव दिनांक 8 अक्टूबर 2015 द्वारा उक्त न्यायिक अधिकारी को सेवा से पदच्युत (Dismissal from service) किये जाने की अनुशंसा की गई है.

उक्त न्यायिक अधिकारी के सेवा अभिलेख तथा समस्त सामग्री पर विचार करने के उपरांत उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश की अनुशंसा से सहमत होते हुए राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि श्री जगत मोहन चतुर्वेदी, विशेष न्यायाधीश SC/ST(PA) Act, ग्वालियर (वर्तमान पदस्थापना द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश, बालाघाट) को सेवा से पदच्युत (Dismissal from service) किया जाये.

अत: म. प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील), नियम 1966 के नियम 10 के उपनियम (ix) के अन्तर्गत दीर्घ शास्ति अधिरोपित करते हुए एतद्द्वारा, राज्य शासन श्री जगत मोहन चतुर्वेदी, विशेष न्यायाधीश SC/ST(PA) Act, ग्वालियर (वर्तमान पदस्थापना द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, बालाघाट) को तत्काल प्रभाव से सेवा से पदच्युत (Dismissal from service) करता है.

फा. क्र. 3(सी)8-86-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, श्री समीर सक्सेना, अधिवक्ता इंदौर को इंडियन लॉ रिपोर्टर (ILR) (मध्यप्रदेश सीरीज) के लिये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की स्थापना

पर निर्मित पार्ट टाईम रिपोर्टर के पद पर रुपये 5000/- (रुपये पाँच हजार) केवल प्रतिमाह निश्चित मानदेय पर एक वर्ष की अवधि के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से नियुक्त करता है.

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन (102) उच्च न्यायालय (579) उच्च न्यायालय भारित (01) वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा.

फा. क्र. 3(सी)8-86-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, श्री लखनलाल गोस्वामी, अधिवक्ता ग्वालियर को इंडियन लॉ रिपोर्टर (ILR) (मध्यप्रदेश सीरीज) के लिये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाईम रिपोर्टर के पद पर रुपये 5000/- (रुपये पाँच हजार) केवल प्रतिमाह निश्चित मानदेय पर एक वर्ष की अवधि के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से नियुक्त करता है.

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन (102) उच्च न्यायालय (579) उच्च न्यायालय भारित (01) वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा.

फा. क्र. 3(सी)8-86-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, श्री संजय सेठ, अधिवक्ता जबलपुर को इंडियन लॉ रिपोर्टर (ILR) (मध्यप्रदेश सीरीज) के लिये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाईम रिपोर्टर के पद पर रुपये 5000/- (रुपये पाँच हजार) केवल प्रतिमाह निश्चित मानदेय पर एक वर्ष की अवधि के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से नियुक्त करता है.

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन (102) उच्च न्यायालय (579) उच्च न्यायालय भारित (01) वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा.

फा. क्र. 3(सी)8-86-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, श्री नितिन कुमार अग्रवाल, अधिवक्ता जबलपुर को इंडियन लॉ रिपोर्टर (ILR) (मध्यप्रदेश सीरीज) के लिये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाईम रिपोर्टर के पद पर रुपये 5000/- (रुपये पाँच हजार) केवल प्रतिमाह निश्चित मानदेय पर एक वर्ष की अवधि के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से नियुक्त करता है.

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन (102) उच्च न्यायालय (579) उच्च न्यायालय भारित (01) वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा.

फा. क्र. 3(सी)8-86-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, श्री अंकित सक्सेना, अधिवक्ता ग्वालियर को इंडियन लॉ रिपोर्टर (ILR) (मध्यप्रदेश सीरीज) के लिये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाईम रिपोर्टर के पद पर रुपये 5000/- (रुपये पाँच हजार) केवल प्रतिमाह निश्चित मानदेय पर एक वर्ष की अवधि के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से नियुक्त करता है.

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन (102) उच्च न्यायालय (579) उच्च न्यायालय भारित (01) वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विरेन्दर सिंह, प्रमुख सचिव.

फा. क्र. 1(बी)04-2015-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, श्री कैलाश नारायण श्रीवास्तव पुत्र श्री मदन मोहन श्रीवास्तव, अधिवक्ता जिला दतिया को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये दतिया सत्र खण्ड के दतिया राजस्व जिले के लिये एतद्द्वारा, शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक, नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के.वैद्य, सचिव.

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 अक्टूबर 2015

क्र. एफ-24-1-2012-32-1.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 की धारा 28(1) के अंतर्गत निम्नांकित जिलों के अधिकारियों को उनके कार्यक्षेत्र के लिये भाड़ा नियंत्रण अधिकारी नियुक्त किये जाने की सहमति प्रदान की जाती है:—

क्रमांक	जिला	अधिकारी जिसे भाडा नियंत्रक अधिकारी नियुक्त किया जाना है.
(1)	(2)	(3)
(1)	बालाघाट	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बालाघाट,/वारासिवनी/बैहर/ लांजी/ कटंगी.
(2)	इंदौर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शहरी क्षेत्र विजयनगर/सेन्ट्रल कोतवाली/ जूनी इंदौर/संयोगितागंज/खुडैल/राऊ/ मल्हारगंज/कम्पेल.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार मालवीय, अवर सचिव.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 अक्टूबर 2015

संशोधन

क्र. 9346-एनआर-14-लोकपाल-3-2015.—मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक-3986-एनआर-14-लोकपाल-3-2015 दिनांक 23 अप्रैल 2015 में आंशिक संशोधन करते हुए श्रीमती मीना भट्ट, अध्यक्ष संभागीय सतर्कता समिति, जबलपुर को छिंदवाड़ा एवं मण्डला जिले के साथ अन्य सदस्य की नियुक्ति होने तक जबलपुर/कटनी/नरसिंहपुर जिलों के लिए भी मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

संशोधन

क्र. 9344-एनआर-14-लोकपाल-3-2015.—मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-8372-एनआर-14-लोकपाल-3-2015 दिनांक 21 अगस्त 2015 द्वारा नियुक्त लोकपाल श्री शशि मोहन श्रीवास्तव, से. नि. जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं लोकपाल अध्यक्ष के आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री शशि मोहन श्रीवास्तव, अध्यक्ष, संभागीय सतर्कता समिति, उज्जैन, उज्जैन संभाग को उज्जैन, देवास एवं आगर मालवा जिलों के लिए भी मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

रघुवीर श्रीवास्तव, सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

छिंदवाड़ा, दिनांक 9 अक्टूबर 2015

क्र. 1717-अ.भू.अ.-रा.नि.-2015.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2 (1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तंभ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तंभ (2) में दर्शित नाम से तहसील अमरवाड़ा जिला छिंदवाड़ा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:—

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व प.ह.नं. एवं इससे पृथक किया गया क्षेत्रफल)	राजस्व ग्राम का नाम एवं प. ह. नं.
(1)	(2)
ग्राम बांदरा प.ह.नं. 41 से पृथक किया गया क्षेत्रफल-429.489 हेक्टेयर.	ग्राम-बांदराढाना प.ह.नं. 41.

क्र. 1718-अ.भू.अ.-रा.नि.-2015.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2 (1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तंभ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तंभ (2) में दर्शित नाम से तहसील परासिया जिला छिंदवाड़ा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:—

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व प.ह.नं. एवं इससे पृथक किया गया क्षेत्रफल)	राजस्व ग्राम का नाम एवं प. ह. नं.
(1)	(2)
ग्राम पैंजनवाड़ा प.ह.नं. 19 से पृथक किया गया क्षेत्रफल-211.922 हेक्टेयर.	ग्राम-कोंढराढाना प.ह.नं. 19.

क्र. 1719-अ.भू.अ.-रा.नि.-2015.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2 (1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तंभ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तंभ (2) में दर्शित नाम से तहसील परासिया जिला छिंदवाड़ा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:—

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व प.ह.नं. एवं इससे पृथक किया गया क्षेत्रफल)	राजस्व ग्राम का नाम एवं प. ह. नं.
(1)	(2)
ग्राम-धमनिया प.ह.नं. 16 से पृथक किया गया क्षेत्रफल-177.160 हेक्टेयर.	ग्राम-सित्ताढाना प.ह.नं. 16.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश

अनूपपुर, दिनांक 10 सितम्बर 2015

क्र. 964-निर्वा.-2015.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 11(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, के. व्ही. एस. चौधरी, कलेक्टर, जिला-अनूपपुर मण्डी अधिनियम की धारा 11(1) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (लोकसभा एवं विधान सभा सदस्य की मण्डी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नामनिर्देशन) नियम, 2010 के अन्तर्गत अनूपपुर जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मण्डी समितियों के लिए एतद्द्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं :—

क्र.	मण्डी का नाम	नामनिर्दिष्ट सदस्य का नाम व पता	मण्डी अधिनियम की धारा
(1)	(2)	(3)	(4)
		(1) सांसद महोदय द्वारा नामांकित प्रतिनिधि का नाम	
1.	234-अनूपपुर	. . . . .	
	235-जैतहरी	. . . . .	
	236-कोतमा	. . . . .	
		(2) विधायक महोदय द्वारा नामांकित प्रतिनिधि का नाम	
2.	234-अनूपपुर	श्री अमरा नायक निवासी सरई पो. खमरौद तह. पुष्पराजगढ़, जिला-अनूपपुर (म. प्र.).	11(5)
	235-जैतहरी	श्री राम प्रसाद राठौर ग्राम क्योटार तहसील जैतहरी, जिला-अनूपपुर	11(5)
	236-कोतमा	श्री राकेश शुक्ला पिता श्री सी. पी. शुक्ला वार्ड क्र. 6 बिजुरी तह. कोतमा.	11(5)
		(3) जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय द्वारा नामांकित प्रतिनिधि का नाम	
3.	234-अनूपपुर	श्री राम पाल सिंह (लहरू) ग्राम चचाई, जिला-अनूपपुर	11(5)
	235-जैतहरी	श्री राम प्रसाद राठौर आ. धनीराम राठौर ग्राम बलबहरा पो. धनगवां, जिला-अनूपपुर	11(5)
	236-कोतमा	श्री राज कुमार पटेल, निवासी कपिलाधारा कालोनी ग्राम पोस्ट बिजुरी, जिला-अनूपपुर	11(5)
		(4) जिला सहकारी कृषि ग्रामीण बैंक मर्यादित द्वारा नामांकित प्रतिनिधि का नाम	
4.	234-अनूपपुर	श्री राम दास पुरी ग्राम दैखल तह. कोतमा, जिला-अनूपपुर	11(5)
	235-जैतहरी	. . . . .	
	236-कोतमा	. . . . .	
		(5) उप जिला कृषि कल्याण विभाग अनूपपुर द्वारा नामांकित प्रतिनिधि का नाम	
5.	234-अनूपपुर	श्री उप संचालक कृषि विभाग अनूपपुर (पदेन)	11(5)
	235-जैतहरी	श्री वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, जिला-अनूपपुर (पदेन)	11(5)
	236-कोतमा	श्री वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, जिला-अनूपपुर (पदेन)	11(5)

के. व्ही. एस. चौधरी, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश

मानव संसाधन विकास, प्रथम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

(विभागीय परीक्षा, प्रकोष्ठ)

भोपाल, दिनांक 16 अक्टूबर 2015

क्र. 2570.—सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-10-1-2015-1-9 दिनांक 27 मार्च 2015 के परिपेक्ष्य में सहायक वन संरक्षक एवं वनक्षेत्रपालों के लिये विभागीय परीक्षा दिनांक 26 अगस्त 2015 को प्रथम-प्रक्रिया (वनक्षेत्रपाल), दिनांक 27 अगस्त 2015 को द्वितीय-लेखा (वनक्षेत्रपाल), दिनांक 27 अगस्त 2015 को द्वितीय-सामान्य विधि (सहायक वन संरक्षक एवं वनक्षेत्रपाल), दिनांक 28 अगस्त 2015 को तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा (सहायक वन संरक्षक एवं वनक्षेत्रपाल) पर विषयों सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु. क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	विषय
(1)	(2)	(3)	(4)
	भोपाल संभाग		
1	श्री सुरेश कुमार सोनवंशी	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया
2	श्री शिवपाल पिपरदे	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया
3	श्री गोपाल सिंह जाटव	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया
4	श्री अरविन्द कुमार अहिरवार	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया
5	श्री राज कुमार मिश्रा	परियोजना क्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया
6	श्री आर. के. लिल्होरे	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया
7	श्री चरन सिंह	परियोजना क्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया
8	श्री डी. के. एस. भदौरिया	परियोजना क्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया
9	श्री आर. एन. पटेल	परियोजना क्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया
10	श्री आर. के. सक्सेना	परियोजना क्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया
11	श्री एस. आर. सिनोदिया	परियोजना क्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया
12	श्री गोपाल सिंह जाटव	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
13	श्री राजकुमार मिश्रा	परियोजना क्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
14	श्री चरण सिंह	परियोजना क्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
15	श्री डी. के. एस. भदौरिया	परियोजना क्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
16	श्री आर. एन. पटेल	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
17	श्री आर. के. सक्सेना	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
18	श्री एस. आर. सिनोदिया	परियोजना क्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
19	श्री एस. एल. शर्मा	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
20	श्री राकेश चन्द्र सक्सेना	परियोजना क्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
21	श्री विश्राम सिंह भदौरिया	परियोजना क्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
22	श्री सुरेश कुमार सोनवंशी	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
23	श्री कुलदीप सिंह ठाकुर	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
24	श्री एन. के. व्यास	उप संभागीय प्रबंधक	द्वितीय-सामान्य विधि
25	श्री तुलाराम कुलस्ते	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय-सामान्य विधि
26	श्री सुभाष शर्मा	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय-सामान्य विधि
27	श्री ओमप्रकाश पटेल	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय-सामान्य विधि
28	सुश्री मनीषा पुरवार	सहायक वन संरक्षक	द्वितीय-सामान्य विधि
29	श्री देवेन्द्र कुमार अहिरवार	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय-सामान्य विधि

(1)	(2)	(3)	(4)
		जबलपुर संभाग	
30	श्री ए. एस. धुर्वे	परियोजना क्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया
31	श्री बिरझूलाल मरावी	परियोजना क्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया
32	श्री जगदीश प्रसाद पटेल	परियोजना क्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया
33	श्री रावेन्द्र सिंह	परियोजना क्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया
34	श्री गिरीशचन्द्र दुबे	परियोजना क्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया
35	श्री प्रभूदयाल मेशराम	परियोजना क्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया
36	श्री एस. एल. बरमैया	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया
37	श्री डी. पी. कुशरे	परियोजना क्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया
38	श्री ए. एस. धुर्वे	परियोजना क्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
39	श्री बिरझूलाल मरावी	परियोजना क्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
40	श्री जगदीश प्रसाद पटेल	परियोजना क्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
41	श्री कपूर चन्द डेहरिया	परियोजना क्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
42	श्री रावेन्द्र सिंह	परियोजना क्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
43	श्री गिरीश चन्द्र दुबे	परियोजना क्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
44	श्री प्रभूदयाल मेशराम	परियोजना क्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
45	श्री दिनेश कुमार जमरे	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
46	श्री एस. एल. बरमैया	परियोजना क्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
47	श्री डी. पी. कुशरे	परियोजना क्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
48	श्री सुनील कुमार सिन्हा	सहायक प्रबंधक	द्वितीय-सामान्य विधि
49	श्री आर. बी. मेथिल	उप संभागीय प्रबंधक	द्वितीय-सामान्य विधि
50	श्री भक्तराज पंवार	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय-सामान्य विधि
51	सुश्री पुष्पा सिंह	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय-सामान्य विधि
52	श्री ओमप्रकाश भलावी	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय-सामान्य विधि
53	सुश्री कुमुद बुनकर कोरी	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय-सामान्य विधि
54	श्री भजन सिंह मरावी	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय-सामान्य विधि
55	सुश्री दिपा पटेल	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय-सामान्य विधि
56	श्री देवानन्द पाण्डेय	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय-सामान्य विधि
57	श्री राजू सिंह राजपूत	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय-सामान्य विधि
58	श्री सचिन सयदे	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय-सामान्य विधि
59	श्री रवि कुमार कुशवाहा	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय-सामान्य विधि
		ग्वालियर संभाग	
60	सुश्री ज्योति छाबरिया	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया
61	सुश्री स्वाति पाठक	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-प्रक्रिया
62	सुश्री स्वाति पाठक	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय-सामान्य विधि
63	श्री वृन्दावनलाल वर्मा	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय-सामान्य विधि
64	सुश्री जया पाण्डेय	सहायक वन संरक्षक	द्वितीय-सामान्य विधि
65	कु. सुचिता मेसराम	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय-सामान्य विधि
66	श्री आनन्द शिवहरे	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय-सामान्य विधि
67	सुश्री स्वाति पाठक	वनक्षेत्रपाल	तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा

(1)	(2)	(3)	(4)
		इंदौर संभाग	
68	श्री सरदार सिंह चौहान	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
69	श्री चित्रक सिंह सोलंकी	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय-लेखा
70	श्री अखिल शुक्ला	सहायक वन संरक्षक	द्वितीय-सामान्य विधि
71	श्री सुर्शीद खान	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय-सामान्य विधि
72	सुश्री रेखा काले	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय-सामान्य विधि
73	सुश्री शर्मिला शिल्वे	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय-सामान्य विधि
74	श्री शिव कुमार अवस्थी	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय-सामान्य विधि
75	सुश्री प्रीति परमार	वनक्षेत्रपाल	द्वितीय-सामान्य विधि

गोपा पाण्डेय, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक.

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 20 अक्टूबर 2015

क्र. एफ-1-3-15-रा.स.-यू.ए.1-1278.—मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, अधिनियम, 2011 (क्र. 19 सन् 2011) की धारा 12 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलाधिपतिजी, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान, विश्वविद्यालय, जबलपुर के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में प्रख्यात कम से कम तीन व्यक्तियों का पैनल अनुशंसित करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति गठित की गई है :—

1.	डॉ. रवि कांत, कुलपति, किंग जार्जस मेडीकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ-226003	समिति के अध्यक्ष	कुलाधिपतिजी द्वारा नामांकित
2	प्रो. शील सिंधु पाण्डेय, कुलपति, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन-456010	समिति के सदस्य	विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् द्वारा निर्वाचित
3	श्री व्ही. सी. सेमवाल, प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल.	समिति के सदस्य	राज्य सरकार, चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा नाम निर्देशित

(2) कुलाधिपतिजी के द्वारा डॉ. रवि कांत, कुलपति को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

(3) समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी.

कुलाधिपति, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के आदेशानुसार,
अजय तिर्की, राज्यपाल के प्रमुख सचिव.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 21 अक्टूबर 2015

क्र. 1346-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी की उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	गोपद बनास	विजयपुर	2.75	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग, सीधी.	मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 1348-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी की उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	गोपद बनास	महराजपुर	5.06	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग, सीधी.	मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 1350-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी की उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	गोपद बनास	जोरौधा	3.74	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग, सीधी.	मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 1352-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी की उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	गोपद बनास	कुकुडीझर	10.45	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग, सीधी.	मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 1354-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित

अधिकारी की उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	गोपद बनास	भलुहाखुर्द	3.52	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग, सीधी.	मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 1356-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी की उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	गोपद बनास	शिवपुरवा	13.46	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग, सीधी.	मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 1358-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी की उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	गोपद बनास	उपनी	12.80	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग, सीधी.	मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विशेष गढ़पाले, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 21 अक्टूबर 2015

प. क्र. 2125-प्रशा.-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भूमि-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	नईगढ़ी	इटहा कला-54	22.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म.प्र.).	बहुती नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 2127-प्रशा.-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भूमि-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मऊगंज	करौंदहा 104	3.707	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म.प्र.).	बहुती नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 2129-प्रशा.-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भूमि-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	नईगढ़ी	कलरा 106	4.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म.प्र.).	बहुती नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 2131-प्रशा.-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भूमि-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	नईगढ़ी	अटरा-3	9.370	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म.प्र.).	बहुती नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 2133-प्रशा.-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की

धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भूमि-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	नईगढ़ी	मड़ना-812	11.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र.).	बहुती नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 2135-प्रशा.-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भूमि-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	बुसौली नं. 1 380	11.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र.).	बहुती नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 2137-प्रशा.-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी

वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भूमि-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	टिकुरी	12.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र.).	बहुती नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 2139-प्रशा.-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भूमि-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	धुचियारी -150	15.240	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र.).	बहुती नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 2141-प्रशा.-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भूमि-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	नईगढ़ी	झसी-3 64	6.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र.).	बहुती नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 2143-प्रशा.-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भूमि-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	रोजवह -501	5.400	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र.).	बहुती नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 2145-प्रशा.-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भूमि-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	सर नं.-2 520	7.800	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र.).	बहुती नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 2147-प्रशा.-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5)

में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भूमि-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	समान-521	8.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र.).	बहुती नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 2149-प्रशा.-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भूमि-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	बहेरा-349	4.000	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म.प्र.).	बहुती नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 2151-प्रशा.-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर

एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भूमि-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	इटहाई -30	7.000	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र.).	बहुती नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 2153-प्रशा.-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भूमि-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	डूड़ा-2 14	2.000	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र.).	बहुती नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 2155-प्रशा.-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भूमि-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि कां वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	परासी-285	5.000	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र.).	बहुती नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 2157-प्रशा.-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भूमि-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	डगरदुआ -199	6.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र.).	बहुती नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 2159-प्रशा.-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भूमि-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	सिगटी -543	6.100	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र.).	बहुती नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 2161-प्रशा.-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित

खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भूमि-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	रनगढ़-490	5.000	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र.).	बहुती नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 2163-प्रशा.-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भूमि-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	बेलहाई -404	8.000	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र.).	बहुती नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 2165-प्रशा.-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी

वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भूमि-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	तेदुआ कोठार-226	7.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र.).	बहुती नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 2167-प्रशा.-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भूमि-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	तेदुआ उन्-229	1.800	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र.).	बहुती नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 2169-प्रशा.-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी

वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भूमि-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	सिसवा -546	5.100	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र.).	बहुती नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 2171-प्रशा.-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भूमि-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	टेहरा-196	11.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र.).	बहुती नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 2173-प्रशा.-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भूमि-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के

तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	काटन-64	3.000	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र.).	बहुती नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 2175-प्रशा.-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भूमि-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	जगपुरवा -175	3.000	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र.).	बहुती नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 2177-प्रशा.-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भूमि-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	बेलवा बड़गैया न-397.	11.800	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र.).	बहुती नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 2179-प्रशा.-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भूमि-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	मदरी-440	6.344	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र.).	बहुती नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 2181-प्रशा.-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भूमि-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	पुरवा कोठार-318	5.100	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र.).	बहुती नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 2183-प्रशा.-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5)

में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भूमि-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	माजन रक्शा-4 74 •	4.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र.).	बहुती नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व, विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 2185-प्रशा.-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भूमि-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	कोती-7 8	2.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र.).	बहुती नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 2187-प्रशा.-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर

एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भूमि-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	कोलहाई-90	13.473	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र.).	बहुती नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 2189-प्रशा.-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भूमि-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	लालगॉव-510	40.875	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र.).	बहुती नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 9 सितम्बर 2015

पत्र क्र. 275-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (2) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिए है. चूंकि सिरमौर मार्ग से गर्गन टोला तिवरियान के राजगढ़ मार्ग के पहुंच मार्ग पूर्ण करने हेतु इस कारण अधिनियम की उपधारा (2) के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा (म. प्र.)
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम—दुलहरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल —2.515 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
233/1ख/1	0.089
233/1ख/2	0.049
233/1ख/4	0.081
233/1ख/5	0.234
233/1ख/6	0.045
233/1ख/7	0.045
233/1ख/8	0.145
233/1ख/9	0.058
233/1ख/10	0.053
233/2	0.073
44/1क/3	0.085
240/1क	0.190
241	0.518
351	0.850
कुल रकबा. .	2.515

(2) सार्वजनिक प्रयोजन लिये आवश्यकता है—

(3) भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय, जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. भ/स संभाग क्रमांक 1 रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 276-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (2) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिए है. चूंकि सिरमौर मार्ग से गर्गन टोला तिवरियान के राजगढ़ मार्ग के पहुंच मार्ग पूर्ण करने हेतु इस कारण अधिनियम की उपधारा (2) के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा (म. प्र.)
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम—सिरमौर वार्ड क्र. 4
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.146 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
975	0.077
976	0.004
977	0.061
978	0.004
कुल रकबा. .	0.146

(2) सार्वजनिक प्रयोजन लिये आवश्यकता है—

(3) भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय, जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. भ/स संभाग क्रमांक 1 रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 277-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (2) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में

उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिए है. चूंकि सिरमौर मार्ग से गर्गन टोला तिवरियान के राजगढ़ मार्ग के पहुंच मार्ग पूर्ण करने हेतु इस कारण अधिनियम की उपधारा (2) के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा (म. प्र.)
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम—कोहरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.065 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
85	0.065
कुल रकबा. .	0.065

(2) सार्वजनिक प्रयोजन लिये आवश्यकता है—

(3) भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय, जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. भ/स संभाग क्रमांक 1 रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रीवा, दिनांक 16 अक्टूबर 2015

पत्र क्र. 366-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (2) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिए है. चूंकि ग्राम रौरा-502, रीवा जिले के बैकुण्डपुर लालगांव मार्ग के कि.मी. 8/6 में कंदैला नाले पर पुल एवं पहुंच मार्ग कार्य पूर्ण करने हेतु. इस कारण अधिनियम के उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा (म. प्र.)
(ख) तहसील—मनगवां
(ग) नगर/ग्राम—रौरा-502
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.048 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
175/1	0.007
175/2	0.007
175/3	0.007
175/4	0.007
176/2	0.010
174/3	0.010
कुल रकबा. .	0.048

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है— रीवा जिले के बैकुण्ठपुर लालगांव मार्ग के कि.मी. 8/6 में कंदैला नाले पर पुल एवं पहुंच मार्ग कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय, जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. सेतु रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 367-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (2) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिए है. चूंकि ग्राम सौर 568, रीवा जिले के बैकुण्ठपुर नेबुहा पटना मार्ग के कि.मी. 5/10 में महाना नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग कार्य पूर्ण करने हेतु इस कारण अधिनियम की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा (म. प्र.)
(ख) तहसील—मनगवां
(ग) नगर/ग्राम—सौर 568
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.210 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
576	0.210
कुल रकबा. .	0.210

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—रीवा जिले के बैकुण्ठपुर नेबुहा पटना मार्ग के कि.मी. 5/10 में महाना नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय, जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. सेतु रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 368-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (2) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिए है. चूंकि ग्राम पटना 278 रीवा जिले के बैकुण्ठपुर नेबुआ पटना मार्ग के कि.मी. 5/10 में महाना नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग कार्य पूर्ण करने हेतु. इस कारण अधिनियम की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा (म. प्र.)
(ख) तहसील—मनगवां
(ग) नगर/ग्राम—पटना 278
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.178 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1812	0.085
19	0.012
20/1	0.045
24/2	0.036
कुल रकबा.	0.178

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—रीवा जिले के बैकुण्ठपुर नेबूहा पटना मार्ग के कि.मी. 5/10 में महाना नदी पर पुल एवं पहुंचमार्ग कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. सेतु रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 369-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की सारणी के कालम 2 में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है. चूंकि ग्राम सोनौरी 553, रीवा जिले के सोनौरी बडोखर मार्ग में नैना नदी पर पुल एवं पहुंचमार्ग कार्य पूर्ण करने हेतु. इस कारण अधिनियम की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा (म. प्र.)
(ख) तहसील—त्योंथर
(ग) नगर/ग्राम—सोनौरी-553
(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.998 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2432/4	0.101
753, 743/2	0.006
820/4	0.004
754	0.010
811/1, 811/2	0.018
820/6	0.016
811/3	0.012
812	0.016
2558/2ख	0.022
814	0.024
846	0.010
2560/2	0.029
839	0.012
847/1	0.011
2591/2/3	0.054
847/2/1	0.005
847/2/2	0.005
2558/2ग	0.022
847/3	0.005
848	0.015
2560/3	0.029
851	0.010

(1)	(2)
852	0.010
2591/2/2	0.054
796	0.008
836	0.014
2557/2	0.065
788	0.020
789	0.020
820/8	0.016
791	0.006
790	0.008
2432/3/2	0.085
835	0.016
820/1	0.004
2432/3/4	0.085
820/2	0.004
820/3	0.004
2556/1	0.020
820/7	0.016
820/5	0.016
2561/1	0.035
2556/2	0.020
2589/3/3	0.015
2589/3/1	0.015
2561/2	0.035
2559/2	0.018
2559/4	0.018
2589/3/2	0.015
2432/3/1	0.085
2559/6	0.018
2556/3	0.020
2432/3/3	0.085
2559/8	0.018
2561/3	0.035
2558/2क	0.022
2559/10/1	0.009
2559/3	0.018
2560/1	0.029
2559/11	0.018
2559/5	0.018
2591/2/1	0.054
2592	0.068
2559/7	0.018
2559/9	0.018
838	0.008
2559/10/2	0.009
2589/2	0.040
2590/2	0.075
2559/12	0.018
2597/3	0.152
2596/1ख	0.010
2590/3	0.075
कुल . .	1.998

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—रीवा जिले के सोनौरी बड़ोखर मार्ग में नैना नदी पर पुल एवं पहुंचमार्ग कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय, जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. सेतु रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 21 सितम्बर 2015

नस्ती क्र. 39-एल.ए.-2013-भू-अर्जन-प्र.क्र. 03-अ-82-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा

(ख) तहसील—खण्डवा

(ग) ग्राम—देवला मॉफी

(घ) क्षेत्रफल—आबादी प्लाट का कुल का क्षेत्रफल 885.61 वर्गमीटर पर निर्मित कुल 02 मकान क्षेत्रफल 527.38 वर्गमीटर.

आबादी खसरा क्रमांक	भू-खण्ड का रकबा (वर्गमीटर में)	निर्मित रकबा (वर्गमीटर में)
(1)	(2)	(3)
171	454.58	पक्का मकान 248.00 वर्गमीटर.
171	431.03	पक्का मकान 279.38 वर्गमीटर.
02	885.61 वर्गमीटर	527.38 वर्गमीटर

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना 2×600 मे. वा.म.प्र.पा.ज.कं.लि. खण्डवा की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के अनुसार जिन भूमि स्वामियों की संपूर्ण भूमि परियोजना के लिये अधिग्रहित की गयी है उनके रंहवासी मकानों का उनकी मांग पर अधिग्रहण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी पुनासा तथा कार्यपालन यंत्री (सिविल) संभाग-दो श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना दोंगालिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 2 अक्टूबर 2015

प्र. क्र. 4-अ-82-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—निजी भूमि

(कं) जिला—दतिया

(ख) तहसील—दतिया

(ग) ग्राम—दतिया गिर्द

(घ) अर्जित क्षेत्रफल—3.931 हेक्टेयर.

सर्वे क्र.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2511/2 मिन 1	0.160
2908/2511	0.800
256	0.201
249	0.020
248/1-2	0.070
230/2793	0.088
230/1/2795	0.550
230/2791	0.120
240	0.030
231/2	0.040
231/5	0.070
230/4/2792	0.040
231/1	0.057
232	0.020
231/3	0.050
230/2792/2	0.020
243	0.040
233/1	0.010
230/2797/2	0.090
233/2	0.210
230/2797/3	0.050
107	0.003
108	0.100
109	0.050
111	0.010
112	0.040
77/1	0.030
80	0.010
81	0.030
82	0.090
234	0.050
83	0.082

(1)	(2)
85	0.010
86	0.010
89	0.010
90	0.010
244/2	0.010
2301/2792	0.100
231/4	0.010
472/3/1	0.500
106/2790	0.040
कुल योग :	3.931

(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता—दतिया जिले के अन्तर्गत बाईपास मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन शाखा, कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 5-अ-82-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—निजी भूमि

(क) जिला—दतिया

(ख) तहसील—दतिया

(ग) ग्राम—हमीरपुर

(घ) अर्जित क्षेत्रफल—4.65 हेक्टेयर.

सर्वे क्र.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
584 मिन 1	0.23
584 मिन 2	0.02
620 मिन 2	0.10
630	0.38
631	0.21
632	0.13
633	0.01
639	0.10
519	0.03
546/1 मिन 1	0.13
640	0.20
516	0.12
515	0.05
514	0.08
509	0.02
512	0.05
471	0.21
467	0.30
507	0.06
508	0.02
470	0.10
472	0.05
475	0.25
456	0.02
478	0.45
479	0.20
428	0.08
432	0.22
429	0.10
440	0.04
441	0.25
446	0.01
442	0.03
438	0.23
439	0.04
437	0.01
433	0.14
430	0.07
कुल योग :	4.65

(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता—दतिया जिले के अन्तर्गत बाईपास मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन शाखा, कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रकाश जांगरे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2015

प्र. क्र. 04-अ-82-भू-अर्जन-2014-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके लिये यह घोषित किया गया है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—विजावर
(ग) ग्राम—वेदपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—6.046 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
36/2	0.354
36/1	0.176
35	0.158
28/3	0.297
28/2	0.198
104/2	0.792
103/5/1	1.063
103/4	0.684
103/3/1	0.505
103/1	0.833
102/1/क/1	0.986
कुल योग . .	6.046

(2) श्यमारी बाध मध्यम परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), विजावर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 7 अक्टूबर 2015

क्र. एफ. 192-भू-अर्जन-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—मैहर
(ग) नगर/ग्राम—मन्नी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.633 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
85/1	0.405
10/2	0.060
94/2ख	0.127
94/2घ	0.300
153/11ख	0.405
149/1ग	0.082
150/1ख	0.254
निजी खाता भूमि योग . .	1.633

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग सतना के अन्तर्गत अधियारी सागर बांध निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ. 193-भू-अर्जन-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—मैहर

(ग) नगर/ग्राम—जोवा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.441 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
434/2	0.548
485/1ख	0.261
484/1क	0.951
471/1/621	0.105
489	0.912
471/2/621	0.105
470/2/602	0.131
441/3	0.418
441/4	0.418
444	0.028
446/2	0.418
477/1/612/1	0.296
477/2/612/2	0.296
477/3/612/3	0.296
488/1	0.209
488/2	0.209
582	0.763
471/609	0.711
471/603	0.366
निजी खाता भूमि योग . .	7.441

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग सतना के अन्तर्गत अधियारी सागर बांध निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ. 194-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—मैहर
(ग) नगर/ग्राम—बंदरिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.418 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
123/1	0.418
निजी खाता भूमि योग . .	0.418

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग सतना के अन्तर्गत अधियारी सागर बांध निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ. 207-भू-अर्जन-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यहघोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—उचेहरा
(ग) नगर/ग्राम—कोनी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.469 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
20	0.036
21	0.023
22	0.047
23	0.010
24	0.010
25	0.079
27	0.010
28	0.254
35/1	0.015
37	0.021

(1)	(2)
38	0.021
39	0.072
40	0.096
41	0.003
43	0.004
48/1	0.013
54	0.269
56/3	0.005
69	0.003
71	0.005
72	0.106
73	0.048
74	0.019
93	0.254
122	0.007
123	0.025
154	0.014
निजी खाता भूमि कुल योग . .	1.469

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिनके लिये अर्जन आवश्यक है—बरगी व्यपवर्तन के परियोजना के अन्तर्गत नागौद सतना शाखा नहर के अमदराज माइनर एवं सबमाइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ. 208-भू-अर्जन-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—उचेहरा
(ग) नगर/ग्राम—अमदरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.800 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
6	0.084
7/1/क	0.084
7/1/ख	0.093
8	0.005
9	0.013
10	0.026
11	0.021
12/3	0.160
22/1	0.031
22/2	0.031
22/3	0.032
23	0.042
24/1	0.042
32/1	0.032
72/1	0.010
34	0.063
35	0.167
36/1	0.068
36/2	0.068
38	0.052
39	0.010
42/1	0.005
43/1	0.015
67	0.105
147/1	0.005
147/2	0.057
147/3	0.080
148/2	0.011
148/3	0.004
174	0.006
175	0.053
176	0.066
178	0.010
180/1	0,031
180/2	0.052
181	0.005
190	0.031

(1)	(2)
192	0.021
196/1	0.031
196/2	0.056
197	0.042
198	0.084
199	0.006
200	0.100
204	0.148
205	0.005
206	0.021
207/2क	0.005
207/2ख	0.007
208/2/क	0.015
208/2/ख	0.084
345/1	0.010
353	0.015
354/1	0.230
354/2	0.180
356/2	0.010
357/1	0.147
357/2	0.112
358	0.068
384	0.012
387/1	0.021
387/2	0.060
388	0.011
389	0.082
390	0.042
391	0.010
414	0.086
415	0.097
416/1	0.094
416/2	0.106
417	0.021
418	0.005
419	0.005
420	0.012
421	0.147
585	0.193
589	0.011
590	0.288
591	0.012
592	0.003
593	0.080
338	0.152
355/1	0.005
356/1	0.005
362/1	0.052
362/2	0.073
362/3	0.025
362/4	0.030
362/5	0.030
363	0.086
429/2	0.008
436	0.115
437/1	0.056
437/2	0.084
439	0.035
447	0.144
449	0.435
निजी खाता भूमि योग . .	5.800

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—बरगी व्यपवर्तन के परियोजना के अन्तर्गत नागौद सतना शाखा नहर के अमदराज माइनर एवं सबमाइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संतोष मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.